ESTER
INDUSTRIES LTD.
CIN : L24111UR1985PLC015063

ISO 9001:2000 DNV REGISTERED FIRM

Date: 08th August, 2017

BSE Limited Department of Corporate services Phirojee Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400023	**National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Dear Sir,

Subject : Submission of copy of Advertisement related to AGM.

Pursuant to Regulation 30 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of the Advertisement related to AGM published in Hindi (Dainik Najariya Khabar, Dehradun Edition dated 6th August, 2017) as well as in English newspapers (The Financial Express, All Editions dated 6th August, 2017).

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

Yours Faithfully
For **Ester Industries Limited**

Diwaker Dinesh
Company Secretary

ESTER INDUSTRIES LTD. Block-A Plot No-11 Infocity-1, Sector-33 & 34 Gurgaon 122001 Haryana

Encls: As above

Block-A, Plot No. 11, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon - 122001 Haryana, India
Phone : +91-124-2656100, 4572100 **Fax :** +91-124-4572199, 2656199 **E-Mail :** info@ester.in **Website :** www.esterindustries.com

Regd. Office & Works : Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima - 262308 Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Phone : EPABX No. (05943) 250153-57 **Fax No.:** (05943) 250158

Sl. No.	Particula
1.	Total Income
2.	Net Profit/(Loss) for the period (befo Extraordinary items)
3.	Net Profit/(Loss) for the period befor Extraordinary items)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Extraordinary items)
5.	Total Comprehensive Income for the (Loss) for the period (after tax) and o (after tax)]
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)
7.	Earnings Per Share (EPS) - Face Valu
(a)	Basic and Diluted EPS (Rs.) before Extraordinary items for th
(b)	Basic and Diluted EPS (Rs.) after Extraordinary items for the

Note
1. The above is an extract of the detailed forr with Stock Exchanges under Regulation 3 The full format of Quarterly Financial Res websites (www.nseindia.com, www.bs (www.saregama.com).
2. The reconciliation of profit reported in acc profit reported in accordance with Ind AS is

Profit after tax as reported under previo
Effect of reclassification of remeasuremen comprehensive income
Effect of recognition of ESOP at fair value
Effect of unwinding of discount on financia
Effect of discounting of financial liabilities
Effect of unwinding of discount on financia
Effect of amortisation of financial assets
Tax effects on above adjustments
Profit after tax as per Ind AS
Other Comprehensive Income (net of tax)
Total Comprehensive Income as reported

Place : Kolkata,
Date : 4th August, 2017

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
Registered Office: Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima- 262308, Distt Udham Singh Nagar, Uttarakhand. **Phone:** (05943) 250153-57 **Fax:** (05943) 250158
Corporate Office: Plot No. 11, Block-A, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon-122001, Haryana. **Phone:** (0124) 4572100, **Fax:** (0124) 4572199
Website: www.esterindustries.com, **Email** - investor@ester.in

NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **31st Annual General Meeting (AGM)** of Ester Industries Limited will be held at **10.30 AM** on **Monday, 4th September, 2017** at the Registered office of the Company at Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima-262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice alongwith Annual Report for 2016-17 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/ Depository Participants and physical copies of Notice of AGM along with the Annual Report have been sent to all other members at their registered address in permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 5th August, 2017.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration)Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, 29th August, 2017 to Monday, 4th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the **cut off date i.e. Monday 28th August, 2017,** the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The members are informed that -

1. The remote e-voting period will commence on at **9.00 AM on 1st September, 2017 and end at 5.00 PM on 3rd September, 2017.** The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time.
2. The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 28th August, 2017.
3. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 28th August, 2017, may obtain the User Id and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice.
4. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.
5. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.
6. A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. 28th August, 2017 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM
7. The Notice along with Annual Report are available at the Company's website viz www.esterindustries.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com
8. In case of any grievances/queries connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") or remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager of CDSL, 16th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001. Phone No. 18002005533, Email id- helpdesk.evoting@cdslindia.com

For **Ester Industries Limited**
Sd/-
Diwaker Dinesh
Company Secretary

Place: Gurgaon
Dated: 05th August, 2017

Date 05/08/2017
Place: Mumbai
Mitesh Jani
Director
DIN: 02474856

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

डीएम ने की मनरेगा और जलागम विकास कार्यों की समीक्षा

नजारिया खबर ब्यूरो।

देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी एस.ए मुरुगेसन की अध्यक्षता में मनरेगा तथा जलागम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय देनदारी, वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, आधार सिडिंग की प्रक्रिया, आधार आधारित भुगतान प्रगति, समय पर भुगतान मॉनिटिरिंग प्रक्रिया, फोकस एरिया कार्यों की प्रगति, आधार कार्ड सत्यापन प्रगति, आधार कैम्प रोस्टर ऑनलाईन प्रगति, लम्बित मस्ट्रोल की माहवार प्रगति, लम्बित प्रतिकर भुगतान की स्थिति तथा जलागम के अन्तर्गत आई.डब्लू.एम.पी (एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यक्रम) और ग्राम्या 2 योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी को अपने अधीनस्थ ब्लाक स्तर के कार्मिकों तथा ग्राम प्रधानों को जी.ओ टैगिंग/मैपिंग के प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने, मनरेगा के कार्यों के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को आवेदन करने को प्रेरित करने, लोगों को मनरेगा के माध्यम से कराये जा

सकने वाले कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु समय-समय पर नई तकनीक की सहायता से मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होने मनरेगा तथा अन्य सभी विकास कार्यों के तहत किये जाने वाले श्रमिक भुगतान को आधार बेस्ड करने तथा कुछ शेष रह गये ऐसे श्रमिक खातों को जो अब-तक पोस्ट आफिस में संचालित हो रहे हैं उनको तत्काल बैंक में शिफ्ट करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, जिससे भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन हो सके तथा उसमें पूर्ण पारदर्शिता भी बनी रहे। उन्होने योजनाओं के तहत यदि कोई भी पिछला भुगतान शेष है तो उसे तुरन्त पूर्ण करने तथा दिये गये लक्ष्य की प्रगति समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जलागम विकास परियोजना आई.डब्लू.एम.पी तथा ग्राम्या की समीक्षा करते हुए उनकी कार्यदायी तथा सहयोगी संस्थाओं को कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जलागम ग्राम्या परियोजना के उप निदेशक परियोजना पी.एन शुक्ला ने अवगत कराया कि जलागम के अन्तर्गत आई.डब्लू.एम.पी भारत सरकार वित्त पोषित है तथा कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली है व 'ग्राम्या' परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है तथा ग्राम पंचायत इसकी कार्यदायी संस्था है।

मंडी में गंदगी और अतिक्रमण देख भड़के कृषि मंत्री

नजारिया खबर ब्यूरो।

ऋषिकेश। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां फैली गंदगी और अतिक्रमण को देखकर भड़क गए और मंडी सचिव से इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुमानीवाला में नई गल्ला व कृषि मंडी के लिए सचिव को प्रस्ताव भेजने को भी निर्देशित किया शनिवार की सायं करीब तीन बजे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हरिद्वार रोड स्थित मंडी समिति परिसर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां गेस्ट हाउस के पीछे निर्मित पांच नए दुकानदारों के लाइसेंस धारकों ने दुकान ऊंची होने पर अपनी समस्या रखी। कृषि मंत्री ने मंडी सचिव नंदिनी नौटियाल को निर्देश दिए कि इन दुकानों का रास्ता पीछे से खोला जाए। कृषि मंत्री ने गुमानीवाला श्यामपुर में नई गल्ला और कृषि मंडी को लेकर मंडी सचिव को निर्देश दिए कि वह इस संबंध में अतिशीघ्र आनलाइन प्रस्ताव तैयार कर भेजें। जिसमें आबादी के दूसरी ओर चौड़ी सड़क का भी प्रावधान हो। परिसर में व्यापारियों द्वारा दुकान से बाहर सामान रखकर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर कृषि मंत्री ने संबंधित व्यापारियों के नोटिस काटने के साथ यहां व्याप्त गंदगी को लेकर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मेजर कमलेश पांडेय को श्रद्धांजलि अर्पित की

देहरादून, । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भटट ने श्रीनगर में मुठभेड़ में मेजर कमलेश पांडेय व एक अन्य सैनिक के शहीद होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत इतिहास में हमेशा याद रखी जायेगी।

पंचेश्वर बांध परियोजना को लेकर केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ली बैठक

नजारिया खबर ब्यूरो।

नई दिल्ली/देहरादून। दिल्ली स्थित उद्योग भवन में पंचेश्वर बांध परियोजना हेतु केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत, एवं क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चुफाल, पूरन सिंह फर्त्याल, कैलाश गहतोड़ी ने प्रतिभाग किया राष्ट्रीय महत्व की पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन(ई0आई0ए) एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना(ई0एम0पी0) अध्ययन का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें परियोजना के भूमि अधिग्रहण, डूब क्षेत्र सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बारे में बताया गया। पंचेश्वर बांध परियोजना में गहरे नींव स्तर से क्ले कोर सहित 300 मीटर ऊंचा रॉक-फील बॉध शामिल होगा जो कि दो भूमिगत पावर हाउस, महाकाली नदी के किनारों पर एक-एक जिसकी कुल संस्थापित क्षमता(2'6'400 मे0वा0) 4800 मेगावाट होगी। भारत और नेपाल में अधिकतम आवश्यकता वाले समय के दौरान ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये मुख्य बाँध पर विद्युत संयंत्र को पींकिग केन्द्र के रूप में प्रचालित किया जायेगा, इस परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य को 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली(574 मिलियन यूनिट) बिजली एव स्थानीय लोगो के लिये 1 प्रतिशत(53 मिलियन यूनिट) नि:शुल्क बिजली प्राप्त होगी। जिससे उत्तराखण्ड राज्य को रूपये 240 करोड़ प्रतिवर्ष लाभ होगा। पंचेश्वर बॉध परियोजना से उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जनपद प्रभावित होगे। जिससे इन जनपदों के 122 गॉव के 29436 परिवार प्रभावित होगें उक्त बैठक में उत्तराखण्ड राज्य के वित्त मंत्री और प्रभावित जिलो के विधायकों द्वारा प्रभावित परिवारों के पुर्नवास और पुनर्स्थापन, आजीविका, स्थानीय क्षेत्रों के विकास से संबन्धित मुद्दों पर सुझाव दिये गये।

मेडिकल कौंसिल ने तीन डाक्टरों को बैठाया घर

नजारिया खबर ब्यूरो।

देहरादून। उत्तराखंड मेडिकल कौन्सिल अपने छोटे से इतिहास में पहली बार बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रदेश की तीन डाक्टरों को अनैतिक व्यवसायिक आचरण में एक साल से लेकर छह महीने तक घर बैठा दिया है। इस अवधि के लिये उनका चिकित्सा लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है। इनमें दो देहरादून के और तीसरा रूद्रपुर का है।कौन्सिल के रजिस्ट्रार डाक्टर यशवंत सिंह बिष्ट के अनुसार कौन्सिल की अनुशासन समिति ने डोईवाला के डाक्टर रविराज नंदन, गौतम सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के डाक्टर सुनील सिंह गौतम तथा स्पाइन एंड मैटरनिटी सेंटर देहरादून के डाक्टर वी के एस संजय को भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुच्छेद 6.1 के उल्लंघन का दोषी पाया है। समिति की सिफारिश पर डाक्टर सुनील सिंह गौतम को एक साल के लिये निलंबित किया गया है जबकि डाक्टर संजय तथा डाक्टर नंदन को छह-छह महीने को निलंबित किया गया है। तीनों डाक्टर अब इन अवधियों में चिकित्सा नही कर पायेंगें । अगर इनमें किसी को भी इस अवधि में चिकित्सा करते पाया गया तो इनका नाम और अधिक कडे दंड के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद को संदर्भित कियाजायेगा इनमें से डाक्टर संजय पर आरोप था कि राजपुर रोड पर एक दुर्घटना के बाद 108 आपात चिकित्सा वाहन से आये मरीज की मृत्यु पर उन्होने न पुलिस को सूचना दी और न ही उसका पोस्टमार्टम ही हो पाया। संबंधियों ने ही इसकी शिकायत की थी। डाक्टर संजय मरीज के इलाज का चार्ट भी नही दिखा पाये थे। इसी प्रकार डाक्टर गौतम पर आरोप था कि उन्होंने डीएनबी परीक्षा में किसी अन्य को भेज दिया था। इस मामले में उन्हे जेल तक हुई और उन्हे इस परीक्षा से छह साल के लिये अयोग्य कर दिया गया था। डाक्टर गौतम पर एक विज्ञापन में अपना चित्र प्रकाशित करने का दोषी पाया गया है जिसमें वे राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहे हैं।

ठेकेदारों ने जीएमवीएन कार्यालय पर किया प्रदर्शन

नजारिया खबर ब्यूरो।

देहरादून। समय पर भुगतान न होने से नाराज ठेकेदारों ने जीएमवीएन कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जायेगा। ठेकेदार कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने समय पर भुगतान न होने पर रोष जताते हुए, जीएमवीएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि लगभग तीन सालों से कई ठेकेदारों का भुगतान न होना जिसमे कई का तो दिखावे को नाममात्र भुगतान भी किया गया, एक हफ्ते में पूर्ण भुगतान किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि बिड डेढ़ करोड़ से अधिक के टेंडर में लागू की जानी चाहिए, ऑफ्लाइन के समय ठेकेदार द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट तुरंत ठेकेदार को दी जानी चाहिए, किसी भी काम की का गारंटी पीरियड 6 महीने का होना चाहिये,

मेटेरियल के रेट में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है और दरें कम कम हुई हैं जो कि बढ़ाई जानी चाहिए,शास्त्र द्वारा बड़े कामो के छोटे छोटे टेंडर न लगने के निर्णय से छोटे ठेकेदारों को काम मिलना मुश्किल होगा अत: छोटे टेंडर लगने चाहिए। उनका कहना है कि प्रथम क्लास ठेकेदारों के मानक चैंज किये जा रहे हैं इसे पूर्ववत रखा जाना चाहिए, ठेकेदारों का लाभांश 25 प्रतिशत तक बढाया जाना चाहिए, 30 जून से पूर्व किये गए कार्यों पर छूट मिलनी चाहिए, काम करते समय समय वृद्धि, एक्स्ट्रा आइटम, तथा वेरिएशन के जीपीडब्ल्यू 9 के तहत कार्य किये जाने चाहिए आदि मुख्य मांगे थी। मार्च के महीने से आज तक कई बार धरने प्रदर्शन किए जाने के बाद भी आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नही मिला हैं। वहीं प्रमुख अभियंता से बेनतीजा वार्ता के बताया गया कि समिति की सभी मांगे शासन स्तर की है और शासन को भेज दी गयी है। वहीं यमुना कालोनी में लोनिवि के प्रमुख अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। अध्यक्ष गोविंद पुंडीर ने 2 सचल दस्तो को जिले में हो रहे कार्यो को रोकने के रवाना किया एवं मीडिया प्रभारी अचिन गुप्ता ने बताया कि अब ठेकेदार आपदा हो या राज्ये योजना किसी भी प्रकार के कामो को नही करेंगे, उसी क्रम में आज सचल दस्ते ने कृषि मंत्री एव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के निवास का काम भी रोक दिया गया व जहां कहीं कोई ठेकेदार काम करता दिखेगा, उस काम को वही रोक जायेगा।

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063

पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा, खटीमा–262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड **फोनः** (05943) 250153-57, **फैक्सः** (05943) 250158

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 11, ब्लॉक–ए, इफोसिटी–1, सैक्टर–34, गुड़गांव–122001, हरियाणा **फोनः** (0124) 4572100, **फैक्सः** (0124) 4572199

वेबसाइटः www.esterindustries.com, **ईमेलः** investor@ester.in

31वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की **31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 4 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.30 बजे** कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा खटीमा–262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को अनुमति माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 05 अगस्त, 2017 को पूरा हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका मंगलवार, 29 अगस्त, 2017 से सोमवार, 04 सितम्बर, 2017 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कम्पनी **अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार 28 अगस्त, 2017** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिए गए हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **1 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और 3 सितम्बर, 2017** को सायं 5.00 बजे बंद होगी। कथित तिथि व समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग हटा ली जाएगी।
2. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की अंतिम तिथि सोमवार, 28 अगस्त, 2017 है।
3. कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 28 अगस्त, 2017 को शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाए गए रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
4. सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित हैं, उन्हें एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज़ द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तिथि अर्थात् 28 अगस्त, 2017 को दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
7. वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.esterindustries.com पर उपलब्ध है। सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है।
8. रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वां तल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई–400001, फोन नं. 18002005533, ई–मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
दिवाकर दिनेश
कम्पनी सचिव

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 05 अगस्त, 2017